



मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR
(केंडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या: 61/2020

दिनांक: 22.07.2020

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियमों/अनुदेशों के अनुसरण में, निम्नवर्णित, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस, को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें उनके नाम के सम्मुख वर्णित तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि
1	मूल चन्द शर्मा, अधीक्षक	नियम 48 (1)	01.05.2020	03.08.2020 (FN)
2	प्रमोद कुमार शर्मा, अधीक्षक	नियम 48 (ए)	08.06.2020 / 30.06.2020	08.09.2020 (FN)

हस्ता
(महेन्द्र पाल)
आयुक्त

फा.सं.: 11-25(02)सीसीयू/जेजेड/2019/ 9303

दिनांक: 22.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आ वश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

- आयुक्त, सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर) को उनके कार्यालय के पत्र फा. सं. 11-39(5)स्था./सी.शु./2019/1199 दिनांक 04.05.2020 एवं 1-39(5)स्था./सी.शु./2019/1206 दिनांक 20.05.2020 एवं सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर, को उनके कार्यालय के पत्र फा. सं. 11-39(01)स्था./अंकेक्षण./2015/1869 दिनांक 24.06.2020 एवं पत्र सम संख्या 1887 दिनांक 03.07.2020, के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधीक्षकों को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें की उनके विरुद्ध कोई सरकारी/विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, अग्रिम, ऋण अथवा विभागीय हथियार इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात उपरोक्त अधीक्षकों को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
- आयुक्त, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर।
- वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
- अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
- अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- निजी प्रति- (I) श्री मूल चन्द शर्मा, अधीक्षक, सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर) एवं (II) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अधीक्षक, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर।
- गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/संबंधित एसोसियेशन/सूचना पट्ट।

हस्ता
(महेन्द्र पाल)
आयुक्त